

प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

परियोजना विवरण :- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में दन्या-आरासलफड़ मोटर मार्ग से मेलगांव मोटर मार्ग से फाराखोली-मल्ली मयोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 4.00 किमी०)

जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शा०सं०-333/111(2)/14-46 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक 21/01/2014 द्वारा किमी० 4.00 लम्बाई हेतु **रु० 62.97 लाख** की अनुमोदित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण होने से निम्नलिखित ग्रामों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

कं०सं०/कोड नं०	लाभान्वित ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	फाराखोली	307
2	मल्ली मयोली	226
	योग	533

यह समरेखन पूर्व स्वीकृत दन्या-आरा-सल्फड़ मोटर मार्ग के किमी० 12 है० 0-2 से प्रारम्भ होता है। इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी० आती है। इस समरेखन में ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 1.172 है० सिविल भूमि तथा आरक्षित वन भूमि 0.630 है० कुल भूमि 2.802 है० वन भूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ यह वन भूमि न्यूनतम वनभूमि है। मोटर मार्ग का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन 4.00 किमी० ल० तथा 9मी० चौड़ाई में किया गया है। उक्त वन भूमि में मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग के बन जाने से क्षेत्र का समुचित विकास हो सकेगा एवं ग्रामवासियों को यातायात/कास्तकारों को दैनिक व सामाजिक जीवन का लाभ हो सकेगा। जिसका वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तथा पूर्व स्वीकृति हेतु गठित किया जा रहा है। अतः प्रस्तावित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण कर दिया जाय।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
अल्मोड़ा